न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडगॉव, जिला–उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी डॉ. मंजु, I.A.S.

प्रकरण संख्या 389/19 राजस्व वाद

1. श्री प्रहलाद मीणा पिता श्री रामदेव मीणा आयु व्यसक निवासी 34 हिरण मगरी सेक्टर नम्बर 13 जिला उदयपुर राजस्थान – वादी

बनाम

1. नारायण पिता स्व0 वरदा भील आयु व्यसक निवासी सुखेर, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर
2. श्री सोहनलाल पिता स्व0 वरदा भील आयु व्यसक निवासी सुखेर, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर
3. श्री पृथ्वीराज पिता स्व0 वरदा भील आयु व्यसक निवासी सुखेर, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बडगांव, जिला उदयपुर

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र चितौडा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांकः– .....

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से वाद बाबत बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश कर व्यक्त किया गया की राजस्व ग्राम सुखेर तहसील बड़गांव में वादी एवं प्रतिवादी गण के सयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 363 रकबा 0.2500 है0 आ0 संख्या 364 रकबा 0.4000 है0 व आ0 संख्या 369 रकबा 0.4600 कुल कीता 3 कुल रकबा 1.1100 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से पर काबिज है। उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/2 हक व हिस्सा निहित है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की होकर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज है, परन्तु उक्त भूमि खाते में संयुक्त होने से प्रतिवादीगण आये दिन मौके पर विवाद करते रहते है तथा वादी के कब्जे काश्त भूमि पर प्रतिवादीगण व उनके एजेन्ट दखन्दाजी करते है। व कब्जा करने की कोशिश करते है। जिससे वादी अपनी भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बटवारा करवाना चाहता है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो। राजस्व रिकार्ड में भूमि संयुक्त खाते में दर्ज होने से वादी ने प्रतिवादीगण को बंटवारे हेतु कई बार कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने बंटवारा हेतु इनकार कर दिया। जिससे यह वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया। उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दाद नही चाही गई है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जा कर वाद की क्रम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का वादी के हक व हिस्से के अनुसार भूमि का मौके पर मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा किया जाने एवं राजस्व रिकोर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार अलग–अलग दर्ज की जाने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित कि जावे कि वादी के हिस्से व कब्जे कास्त

में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे तथा उक्त कार्य नौकर एजेन्ट आदि के नहीं कराने की इस इस्तदुआ की गई।

प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्रतिवादीगण को वादी के निवेदन पर न्यायालय द्वारा जरिये अखबार दैनिक भास्कर दिनांक 6 जनवरी 2018 से सम्मन प्रकाशित किये जाकर तलब किये गये। परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से इस प्रकरण में करीब 1 वर्ष होने के पश्चात् भी प्रतिवादीगण या उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से दिनांक 17.01.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्व एक तरफा कर्यवाही अमल में लेने का आदेश पारित करते हुए प्रतिवादीगण का जबाब बन्द किया जा कर राजस्व रिकोर्ड में हिस्से अनुसार विवादित भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार विभाजन किया जाने हेतु तहसीलदार बड़गांव को कमिश्नर नियुक्त किया जा कर प्रारम्भिक डिक्री पारित कि जा कर निदेर्शित किया गया की विवादित भूमि का मौके अनुसार पक्षकारा के कब्जे कास्त को मध्य नजर रखते हुए पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन किया जा कर पालना रिकोर्ड पेश करें।

न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की पालना तहसीलदार बड़गॉव द्वारा पेश की गई जिस पर दिनांक 16.07.19 को न्यायालय द्वारा बहस व आपत्ति पर दोनो पक्षो को उपस्थित होने के लिये तीन बार आवाज लगाई। केवल वादी के अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विद्ववान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्रस्तुत वाद एवं पालना रिपोर्ट पी.डी. की ताईद करते हुए तर्क किया गया कि न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर वाद पक्ष सहमत हैं। ऐसी स्थिति में वाद वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री पारीत की जाने की ईस्तदुआ की गई।

मैने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं विद्ववान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया। न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री पालना में तहसीलदार द्वारा उनके पत्र क्रमांक राजस्व/19/493 दिनांक 27.05.2019 के द्वारा विवादित भूमि का विभाजन किया जाकर पत्रादि पत्र के साथ मौका पर्चा विभाजन नक्शा ट्रेस तथा पक्षकारो को विभाजन हेतु मौके पर उपस्थित होने बाबत् जारी सूचना पत्र दिनांक 20.05.19 प्रस्तुत किये। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत पालना रिपोर्ट एवं पत्रादि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बड़गांव द्वारा पक्षकारान को जारी सूचना पत्र के अवलोकन से पक्षकारान को विभाजन हेतु दिनांक 27.05.2019 प्रातः 11 बजे उपस्थित होने हेतू पाबन्द किये गये जिसकी तामीले पक्षकारान को कराई गई। मौका पर्चा दिनांक 27.05.2019 के अवलोकन से विवादित भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त को मध्य नजर रखते हुए किया गया। जिस पर पक्षकारो की ओर से कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई है नाही कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हैं। उक्त विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार प्रस्तावित नक्श ट्रेस में लाल शाही से अलग–अलग दर्शित किया जाकर प्रस्तुत किया गया। विभाजन मौक पर्चा पर उपस्थित तहसीलदार, पटवारी हल्का तथा निरीक्षक भू0अ0 तथा वादी व अन्य मोतबीरान के हस्ताक्षर है जिसकी ताहीद मौके पर्चे से हो रही है। मौके पर प्रतिवादीगण उपस्थित होने के बावजूद भी मौके पर्चे पर हस्ताक्षर नहीं करने की ताहीद तहसीलदार एवं उपस्थित मौतबिरान द्वारा मौके पर्चे पर की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विभाजन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति आदि प्रस्तुत नहीं की गई हैं तथा तहसीलदार द्वारा किया गया विभाजन भूमि की किस्म को देखते हुए पक्षकारान के मध्य बराबर हिस्से में हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी साबित पाये जाने से स्वीकार किया जा कर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्व इस आशय की अंतिम डिक्री पारित की जाती है कि मौजा सुखेर पटवार सर्कल सापेटिया तहसील बड़गांव में स्थित पक्षकारान की सह खातेदारी आराजी किता 3 कुल रकबा 1.1100 है0 में से पक्षकारानो के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता हैं।

वादी प्रहलाद मीणा पिता रामदेव मीणा के हिस्से में:–

क्र.सं.	आराजी संख्या	रकबा	किस्म भूमि
1.	363 में से	0.0400 है.	बीड़
2.	364 में से	0.2900 है.	बीड़
3.	369 में से	0.2250 है.	बीड़
कुल किता	3	0.5550 है.	

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 श्री नारायणलाल, सोहनलाल, पृथ्वीराज पिता वरदा भील के हिस्से में:–

क्र.सं.	आराजी संख्या	रकबा	किस्म भूमि
1.	363 में से	0.2100 है.	बीड़
2.	364 में से	0.1100 है.	बीड़
3.	369 में से	0.2350 है.	बीड़
कुल किता	3	0.5550 है.	

उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावे। साथ ही वादी के पक्ष में व प्रतिवादी सख्या 1 से 3 के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि वादी के हिस्से व कब्जे कास्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी प्रतिवादीगण नही करे, नही ऐसा अपने नौकर एजेण्ड आदि से करावे। मुताबिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी होकर तहसीलदार बड़गांव को निर्णय की पालना हेतू डिक्री पर्चा मय मौका पर्चा, प्रस्तावित नक्शा ट्रेस की प्रति के भेजा जाकर लिखा जावे। वाद व्यय पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मंजु, I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
बड़गॉव

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेष 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़गांव, जिला उदयपुर पीठासीन अधिकारी हनुमान सिंह राठौड आर. ए. एस. मुकद्मा 389 सन 2019 राजस्व वाद अनवान श्री प्रहलाद पिता रामदेव मीणा निवासी 34 हिरणमगरी, सेक्टर 13, जिला उदयपुर बनाम (1) श्री नारायण पिता स्व. श्री वरदा भील, निवासी सुखेर, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (2) श्री सोहनलाल पिता स्व. श्री वरदा भील, निवासी सुखेर, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (3) श्री पृथ्वीराज पिता स्व. श्री वरदा भील, निवासी सुखेर, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (4) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गॉव वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने हनुमान सिंह राठौड आर. ए. एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री नरेन्द्र चित्तौड़ा अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में तहसीलदार बड़गांव द्वारा तैयार बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार आदेष दिया जाता है और डिक्री पारीत की जाती है किः—

मौजा सुखेर, पटवार क्षेत्र सापेटिया, तहसील बड़गॉव की जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 168 में अंकित पक्षकारान की सहखातेदारी कृषि भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 1.1100 हैक्टर का निम्नानुसार स्वतंत्र हिस्सा घोषित किया जाता हैः—

(1) वादी श्री प्रहलाद पिता रामदेव मीणा निवासी 34 हिरणमगरी, सेक्टर 13, जिला उदयपुर खातेदार के हिस्से की आराजीयात :—

क्र.सं.	आराजी संख्या	रकबा	किस्म भूमि
1.	363 में से	0.0400 है.	बीड़
2.	364 में से	0.2900 है.	बीड़
3.	369 में से	0.2250 है.	बीड़
कुल किता	3	0.5550 है.	

(2) प्रतिवादीगण (1) श्री नारायण पिता स्व. श्री वरदा भील, निवासी सुखेर, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (2) श्री सोहनलाल पिता स्व. श्री वरदा भील, निवासी सुखेर, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (3) श्री पृथ्वीराज पिता स्व. श्री वरदा भील, निवासी सुखेर, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर खातेदार के हिस्से की आराजीयात :—

क्र.सं.	आराजी संख्या	रकबा	किस्म भूमि
1.	363 में से	0.2100 है.	बीड़
2.	364 में से	0.1100 है.	बीड़
3.	369 में से	0.2350 है.	बीड़
कुल किता	3	0.5550 है.	

उक्तानुसार पक्षकारान को ग्राम सुखेर पटवार क्षैत्र सापेटिया तहसील बडगांव की उपरोक्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण को स्वतंत्र रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को इस आषय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के कब्जेकाष्त में दखलन्दाजी नहीं करे, उक्त कार्य ना तो स्वयं, ना ही अपने नौकर, एजेन्ट आदि से करावे। तहसीलदार बडगांव राजस्व रेकार्ड में तदनुसार अमल दरामद करावे। बंटवाड़ा रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नरुप फाईनल डिक्री जारी है। वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आज यह डिक्री तारीख ..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(डॉ. मंजु, I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
बड़गॉव

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.01.15 12:58:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: